कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा मध्यप्रदेश

//विविध आदेश//

क्रमांक......35........./
दो–1–1/2000

रीवा, दिनांक 05 /04/2023

कार्यालय कार्यविभाजन आदेश क्रमांक 52/दो–1–1/2000 दिनांक 14 जनवरी 2023 में आंशिक संसोधन निम्नानुसार समाविष्ट किया जाता हैः–

1. सरल क्रमांक–25 प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश रीवा के स्तम्भ क्रमांक–3 में लिखी इबारत 'सिविल जिला रीवा के तहसील सिरमौर' को तथा स्तम्भ क्रमांक–04 की कंडिका क्रमांक–07 से 11 को पूर्णतः विलोपित किया जाता है।

2. सरल क्रमांक–48 के स्तम्भ क्रमांक–02 मे लिखी इबारत *"रिक्त न्यायालय"* को पूर्णतः विलोपित किया जाकर स्तम्भ क्रमांक–3 में *"सिविल जिला रीवा की तहसील सिरमौर"* को, एवं स्तम्भ क्रमांक–4 में कंडिका क्रमांक–1 से निर्मित करते हुए निम्नलिखित ईबारत जोड़ी जाती हैः–

1–प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण एवं उनसे उद्भूत निष्पादन एवं विविध प्रकरण।

2–रूपये 05 लाख से अधिक और रूपये 01 करोड़ से अनाधिक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उदभूत सभी निष्पादन व विविध प्रकरण

3–भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम भाग 10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकार के प्रकरण व आवेदन पत्र।

4–रूपये दो सौ से अधिक और रूपये 5 सौ से अनाधिक मूल्य के लघुवाद स्वरूप के प्रकरण व उनसे उत्पन्न निष्पादन व विविध प्रकरण (धारा–9 द्वारा अधिकृत,

5–म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकार के प्रकरण व आवेदन पत्र।

6–व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिरमौर के रिक्त न्यायालय से संबंधी समस्त निष्पादन व विविध प्रकरण व आवेदन पत्र व उक्त न्यायालय के सभी प्रकरण जो अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्ती किये जावे।

3. सरल क्रमांक–39 द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मउगंज के नाम के आगे *'रिक्त न्यायालय'* लेख कर स्तम्भ क्रमांक–03 में लिखी इबारत *'सिविल जिला रीवा नईगढ़ी'* को तथा स्तम्भ क्रमांक–04 को पूर्णतः विलोपित किया जाता है।

4. सरल क्रमांक–38 के स्तम्भ क्रमांक–3 में लिखी इबारत *'तहसील नईगढ़ी को छोड़कर'* विलोपित करते हुए *'सिविल जिला रीवा की तहसील नईगढ़ी'* को जोड़ा जाता है तथा उक्त सरल के स्तम्भ क्रमांक–4 में कंडिका 6 में आंशिक संशोधन समाविष्ट किया जाता हैः–

6– समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मउगंज/हनुमना के रिक्त न्यायालय से संबंधित निष्पादन व विविध प्रकरण व आवेदन पत्र और उक्त न्यायालय के ऐसे सभी प्रकरण जो अपीलीय व पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किये जाये।

कार्यालय कार्यविभाजन आदेश क्रमांक 52/दो–1–1/2000 दिनांक 14 जनवरी 2023 परिशिष्ट–अ में दर्शित सरल क्रमांक 37 को विलोपित करते हुए 45–अ निर्मित कर निम्नानुसार आंशिक संसोधन समाविष्ट किया जाता हैः–

5. परिशिष्ट–अ के कॉलम नम्बर–02 में उल्लेखित कार्यरत न्यायाधीश की अनुपस्थिति/अवकाश में उनके न्यायालय के सभी आवश्यक कार्य का निराकरण कॉलम नम्बर–03 में उल्लेखित कमानुसार न्यायाधीशगण द्वारा किया जावेगा। यदि कॉलम नम्बर–03 में उल्लेखित सभी न्यायाधीशगण अनुपस्थित/अवकाश पर है तो उस समय मुख्यालय/तहसील में पदस्थ उक्त पदकम में वरिष्ठ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ/कनिष्ठ खण्ड के द्वारा उक्त न्यायालय के आवश्यक कार्य का निराकरण किया जावेगाः–

क0	न्यायालय का नाम	अनुपस्थिति में जो कार्य देखेंगे
36	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मउगंज	1. चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा 2. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड त्योंथर
45–अ	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिरमौर	1. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड त्योंथर 2. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश रीवा

शेष आदेश यथावत रहेंगे।

sd/-
(डी0एन0 मिश्र)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

पृष्ठांकन कमांक– 1383/दो–1–1/2000 रीवा, दिनांक 05/04/2023

<u>प्रतिलिपिः–</u>

1. निज सचिव, मान्नीय पोर्टफोलियो न्यायाधिपति महोदय (रीवा) उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये जाने बावत्।
2. रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
3. समस्त न्यायालय रीवा/मउगंज/त्यौंथर/सिरमौर/हनुमना/मनगवां।
4. कलेक्टर, जिला रीवा (म0प्र0)।
5. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा/मउंगज/त्योंथर/सिरमौर/हनुमना/मनगवां।
6. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा।
7. फाईलिंग काउंटर रीवा/मउंगज/त्योंथर/सिरमौर/हनुमना/मनगवां।
   की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. जू0सि0ए0/डी.एस.ए., कम्प्यूटर अनुभाग रीवा
   की ओर वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हतु प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)
5.4.2023